



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन-सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

जयपुर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को दी राहत
नए कनेक्शन व भार वृद्धि के जारी डिमाण्ड नोटिस की राशि एक जून, 2020 तक
जमा कराने की सुविधा

जयपुर, 12 मई। लॉक डाउन की वजह से नए कनेक्शन एवं भार वृद्धि के मामलों में उपभोक्ताओं को जारी डिमाण्ड नोटिस जमा कराने की निर्धारित तिथि निकल गई है ऐसे आवेदक अब 1 जून, 2020 तक डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करा सकते हैं।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.के.गुप्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नए कनेक्शन एवं भार वृद्धि के मामलों में जारी डिमाण्ड नोटिस जमा कराने की अंतिम तिथि 22 मार्च से 12 मई तक या लॉकडाउन की तिथि 17 मई, 2020 तक है ऐसे मामलों में डिमाण्ड नोटिस की राशि 1 जून तक स्वीकार करने के लिए सभी सम्बन्धित फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया जिन आवेदकों ने अभी तक डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा नहीं कराई है, उन्हें सम्बन्धित फील्ड अधिकारियों द्वारा ई-मेल, व्हाट्सएप, एसएमएस या लिखित नोटिस के द्वारा 1 जून, 2020 तक डिमाण्ड नोटिस जमा कराने के लिए सूचित किया जाएगा।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 973/2020